न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2019 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.09.2019
GCMS NO. :-2019/00142

देऊ बाई पुत्री मगनलाल जी जाट पत्नि श्री नगजीराम जी जाट निवासी जालमपुरा, हाल चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–लोभचन्द पिता घमण्डीराम जी जाट निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के आदेश नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991

उपस्थितिः– 1– श्री दिनेश चन्द्र दायमा, अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 08.09.2020

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जालमपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की वर्तमान आराजी नम्बर 45, 67, 108, 459, 506, 654, 757/1081, 789, 798, 849, 857, 896, 899, 902, 903, 909, 909/1091, 937 किता–18 कुल रकबा 7.16 है. सम्पूर्ण भूमि एवं आराजी नम्बर 655, 862, 879, 882, 890, 893, 895 किता–07 कुल रकबा 2.95 है. भूमि में 1/3 हक व हिस्सा मगनलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी जालमपुरा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मगनलाल जाट का देहान्त हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पटवार हल्का एवं ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जालमपुरा से मिलीभगत कर फर्जी एवं बनावटी गोदनामा प्रस्तुत करके वैधानिक उत्तराधिकारी को बिना सूचित किये, उक्त आराजीयात अपने नाम दर्ज करवा नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 स्वीकृत करा दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 निरस्त फरमा उक्त आराजीयात अपीलांट के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ है। बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा जालमपुरा की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 45, 67, 108, 459, 506, 654, 757/1081, 789, 798, 849, 857, 896, 899, 902, 903, 909, 909/1091, 937 किता-18 कुल रकबा 7.16 है. सम्पूर्ण भूमि एवं आराजी नम्बर 655, 862, 879, 882, 890, 893, 895 किता-07 कुल रकबा 2.95 है. भूमि में 1/3 हक व हिस्सा भूमि मगनलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी जालमपुरा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी एवं उक्त भूमि मगनलाल को उनके मूल पिता चम्पालाल जाट से प्राप्त हुई। अपीलांट, मृत्तक मगनलाल जाट की एक मात्र पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए भी मृत्तक मगनलाल की मृत्यु के उपरान्त जाति रीति-रिवाज अनुसार लोभचन्द को गोद रखे जाने संबंधी ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 05.06.1991 (अनरजिस्टर्ड) के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को सूचित किये बिना ग्राम पंचायत एवं पटवार हल्का से मिलीभगत कर नामान्तरण संख्या 70 गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा दिया जिसे उप तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार अपीलांट के पिता मगनलाल की निर्वसीयत होने से अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उत्तराधिकारिता का अधिकार रखती है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन से पूर्व पुत्री माता-पिता की मृत्यु पश्चात् उत्तराधिकार प्राप्त करती थी किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 6 मे संशोधन हो जाने के पश्चात् पिता के जीवनकाल में ही पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है इसलिए

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वर्गीय मगनलाल जी जाट की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट स्व. मगनलाल की वैधानिक वारिस होने से उपरोक्त विवादित सम्पूर्ण आराजीयात में अपीलान्ट का सम्पूर्ण हक एवं हिस्सा बनता है। अपीलान्ट को नामान्तरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.05.2018 को होने से नकल प्राप्त कर दिनांक 04.06.2018 को अपील अन्दर अवधि 30 दिवस पेश की। उक्त अपील सहवन से उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां पेश होने पर क्षैत्राधिकार से परे होने से उनके द्वारा लौटाये जाने पर उक्त अपील का क्षैत्राधिकार उक्त न्यायालय को होने से पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 निरस्त करते हुए मौजा जालमपुरा की उक्त विवादित आराजीयात अपीलान्ट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

मौजा जालमपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 45, 67, 108, 459, 506, 654, 757/1081, 789, 798, 849, 857, 896, 899, 902, 903, 909, 909/1091, 937 किता-18 कुल रकबा 7.16 है. सम्पूर्ण भूमि एवं आराजी नम्बर 655, 862, 879, 882, 890, 893, 895 किता-07 कुल रकबा 2.95 है. भूमि में 1/3 हक व हिस्सा भूमि मगनलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी जालमपुरा के खातेदारी में निर्विवाद रूप से दर्ज रेकार्ड थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्तर्गत नामान्तरण संख्या 70 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 05.06.91 जो कि रजिस्टर्ड नहीं है के आधार पर स्वर्गीय मगनलाल जाट की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्वर्गीय मगनलाल जाट का वारिस मानते हुए उक्त विवादित नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 स्वीकृत किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से जरिये पत्रांक/राजस्व/2019/60 दिनांक 07.01.2019 से स्वर्गीय मगनलाल जाट के वारिसान की प्राप्त जांच रिपोर्ट में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने श्री मगनलाल पिता चम्पालाल जाट के एक पुत्री देऊबाई होना तथा अन्य कोई जायन्दा पुत्र-पुत्री नहीं होना बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 स्वीकृत करते समय मृतक मगनलाल पिता चम्पालाल जाट के वैध वारिसान की जांच उप तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के स्तर से करना नहीं पाया जाता है। निष्कर्षतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 02.08.1991 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में नियमानुसार जांच कर, आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वर्गीय मगनलाल जाट के विधिक वारिसान का नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़